Speed Post

RTI Matter/Time Bound

F.No.13030/9/2014-K.II
Government of India
Ministry of Home Affairs
K-II Desk

Room No. 92 B
North Block, New Delhi.
Dated: 16th April, 2014.

To

Shri Deepak Rathi,
592/20, Prem Nagar,
Behind Police Line
Rohtak-124001

Sub: Information under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your letter No. 'NIL' dated 18.03.2014 seeking various information under RTI Act. Insofar as information required against Sl. No. 10 of your application, it may be stated that all the matters pertaining to J&K is dealt by Deptt. Of J&K Affairs under the administrative control of Ministry of Home Affairs. As regards role and function of Deptt. Of J&K Affairs you may visit website (http://mha.nic.in/more3).

2. The Appellate Authority in this matter is Shri R.K. Srivastava, Joint Secretary (Kashmir), Room No. 127-A, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

(Mrs. Sulekha)
Deputy Secretary & CPIO
Tel.No. 23092696

Copy for information to Shri S. Samant, Under Secretary (RTI) w.r.t. letter No. A-43020/01/2014-RTI dated 11/04/2014.

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 09/04/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ दीपक .... राठौर ....का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ दीपक राठौर ....के दिनांक: 18/03/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में .... ~~से अंतरण द्वारा~~ दिनांक: 26/03/2014 को प्राप्त) को पी.सी./डी.एम./[illegible]/[illegible] प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: 31/03/2014 की रसीद सं. 28313 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

(हस्ताक्षर)

(एस. सार्पित)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

(i) निदेशक (पी.सी.), गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-II, जयसिंह रोड, नई दिल्ली (फ्लोर 238)

(ii) उपसचिव (एफ.सी.आर.ए.), गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-II, जयसिंह रोड, नई दिल्ली (R.No.256)

(iii) निदेशक (आई.एस.-I), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (R.No. 4)

(iv) उपसचिव (K-I), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (R.No. 9)

(v) उपसचिव (पी.पी.), गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-II, जयसिंह रोड, नई दिल्ली (R.No. 10,11,12,13)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ दीपक राठौर

542/20 जैन नगर

पुलिस लाइन के पीछे 2[illegible] — 124001

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

US(K-II)

1575

सेवा मे

जन सूचना अधिकारी
गृह मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय:- वाछित सूचना लेने हेतु। Rs 10/- attached
IPO No. 27F 207291

श्रीमानजी,
निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपया करें।

(1) क्या कोई संगठन भारत में बिना पंजीकरण के चल सकता है, अगर हाँ तो क्या वह संविधान के अनुसार सही है।

(2) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पंजीकृत है। अगर हाँ तो कहाँ से पंजीकृत है।

(2) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को Z श्रेणी या इसी तरह की सुरक्षा प्रदान कर रखी है।

(3) भारत मे कितने व्यक्तियों को Z श्रेणी की सुविधा प्रदान कर रखी है।

(4) कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा था (अ) अगर हाँ तो किस सन् में लगा था और उसकी वजह क्या थी।

(5) जिन संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है उसका क्या नियम है। गृह मन्त्रालय विदेश से आने वाले पैसे पर नजर रखता है। विदेशों से भारत में कितने संगठनों को पैसा मिलता है उनका पूरा विवरण चाहिए।

(6) किस नियम के तहत भारतीय संगठन विदेश से पैसा ले सकते हैं उस नियम का पूरा विवरण चाहिए।

(7) विदेश से फंड प्राप्त करने के क्या नियम है। पूरा विवरण चाहिए।

(8) क्या संविधान के अनुसार सभी नागरिक समान हैं। अगर हाँ तो कुछ नागरिकों को Z श्रेणी की सुरक्षा बाकी नागरिकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। P.T.O.

५

(9) क्या जम्मू-कश्मीर मामले पर भी कोई मन्त्रालय है अगर हाँ तो उसके कार्य क्या है।

(10) देश में दूसरे देशों के साथ सान्धी किस आधार पर की जाती है। पूरा विवरण चाहिए।

(11) सिन्धू जल सान्धी किस आधार पर की गई इसकी क्या वजह थी। पूरा विवरण चाहिए।

(12) सिन्धू जल सान्धी किन-किन देशों के बीच हुई। इस सान्धी के बीच क्या फैसला हुआ पूर्ण विवरण चाहिए।

(13) अब तक भारत की किन-किन देशों के साथ सन्धियाँ हुई है और उनमें क्या निर्णय हुए है। पूर्ण विवरण चाहिए।

धन्यवाद

निवेदक
दीपक रानी
592/20 प्रेम नगर
पुलिस लाईन के पीछे
रोहतक-124001
फोन-9215887388

दिनांक - 18/3/14

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

3746/TS(6-7)/14
1514

11/4/14

नई दिल्ली, दिनांक : 09/04/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ दीपक खट्टर का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ दीपक खट्टर के दिनांक 18/03/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में ~~से अंतरण द्वारा~~ दिनांक 26/03/2014 को प्राप्त) को [illegible] प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 21/03/2014 की रसीद सं. 28413 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

(एस. सार्थक?)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

(i) निदेशक (सीएस) गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली (कि. 239)
(ii) उपसचिव (एफएंडआरए) गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली (कि.→1256)
(iii) निदेशक (आई.एस.-I) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (कि.नं.→4)
(iv) उपसचिव (K-I) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (कि.नं.→9)
(v) उपसचिव (पीपी) गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली (कि.नं.→1011/1013)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ दीपक खट्टर
542/20 प्रेम नगर
[illegible] रोहतक-124001।

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

15/4/14
SO (K-II)

सेवा में

जन सूचना अधिकारी
गृह मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

131

विषय :- वांछित सूचना लेने हेतु। Rs 10/- attached
IPO No. 27F 207291

श्रीमानजी,

निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपया करें।

(1) क्या कोई संगठन भारत में बिना पंजीकरण के चल सकता है। अगर हाँ तो क्या वह संविधान के अनुसार सही है।

(2) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पंजीकृत है। अगर हाँ तो कहाँ से पंजीकृत है।

(2) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को Z श्रेणी या इसी तरह की सुरक्षा प्रदान कर रखी है।

(3) भारत में कितने व्यक्तियों को Z श्रेणी की सुविधा प्रदान कर रखी है।

(4) कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा था अगर हाँ तो किस सन् में लगा था और उसकी वजह क्या थी।

(5) जिन संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है उसका क्या नियम है। गृह मन्त्रालय विदेश से आने वाले पैसे पर नजर रखता है। विदेशों से भारत में कितने संगठनों को पैसा मिलता है उनका पूरा विवरण चाहिए।

(6) किस नियम के तहत भारतीय संगठन विदेश से पैसा ले सकते हैं उस नियम का पूरा विवरण चाहिए।

(7) विदेश से फंड प्राप्त करने के क्या नियम हैं। पूरा विवरण चाहिए।

(8) क्या संविधान के अनुसार सभी नागरिक समान हैं। अगर हाँ तो कुछ नागरिकों को Z श्रेणी की सुरक्षा बाकी नागरिकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं।

P.T.O.

(9) क्या जम्मू-कश्मीर मामले पर भी कोई मन्त्रालय है अगर हाँ तो इसके कार्य क्या हैं।

(10) देश में दूसरे देशों के साथ सन्धि किस आधार पर की जाती है। पूरा विवरण चाहिए।

(11) सिन्धु जल सन्धि किस आधार पर की गई इसकी क्या वजह थी। पूरा विवरण चाहिए।

(12) सिन्धु जल सन्धि किन-किन देशों के बीच हुई। इस सन्धि के बीच क्या फैसला हुआ पूर्ण विवरण चाहिए।

(13) अब तक भारत की किन-किन देशों के साथ सन्धियाँ हुई है और उनमें क्या निर्णय हुए है। पूर्ण विवरण चाहिए।

धन्यवाद

दिनांक - 18/3/14

निवेदक
दीपक रानी
592/20 प्रेम नगर
पुलिस लाईन के पीछे
रोहतक - 124001
फोन - 9215887388